न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 31/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00086

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. कमलेश पुत्र स्व. फुटरमलजी 2. श्रीपाल पुत्र स्व. फुटरमलजी 3. मंजु पुत्री स्व. फुटरमलजी 4. लता पुत्री स्व. फुटरमलजी 5. प्रमिला पुत्री स्व. फुटरमलजी जातिगण जैन निवासीगण सोमेसर, तहसील रानी जिला पाली		1. अमीन खां पुत्र सतार खां जाति मुसलमान निवासी सोमेसर तहसील रानी जिला पाली 2. ग्राम पंचायत भादरलाउ (सोमेसर) तहसील रानी जिला पाली 3. भंवरलाल पुत्र भैरालाल जाति देवासी निवासी निम्बाड़ा हाल सोमेसर तहसील रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 24/03/2026

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत भादरलाउ (सोमेसर) द्वारा मिसल संख्या 76/77–78 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 15.12.1977 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण की माता कमलाबाई के नाम से ग्राम सोमेसर में एक पट्टासुदा भूमि स्थित है, जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में बेरा नोखरा का जाव, पश्चिम दिशा में आम रास्ता भीमालिया जाने का, उत्तर दिशा में बेरा नोखरा का जाव तथा दक्षिण दिशा में आम रास्ता भादरलाउ जाने का स्थित है, जिसका नाप उत्तर से दक्षिण पूर्वी भुजा 139 फीट, पश्चिमी भुजा 137 फीट, पूर्व से पश्चिम उत्तरी भुजा 100 फीट तथा दक्षिणी भुजा 104 फुट है। उक्त भुखण्ड के पश्चिम दिशा में भीमालिया जाने का आम रास्ता स्थित है। अप्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे की आड़ में मेरी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर सिविल न्यायालय में वाद पेश किया, जिसमें सिविल कोर्ट ने मेरा कब्जा मानकर स्थगन आदेश पारित किया। उक्त भूमि पर आदिनांक तक किसी मकान का निर्माण नहीं किया गया यदि उक्त पट्टा वर्ष 1977 में अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया होता तो आदिनांक तक निर्माण क्यो नहीं करवाया। ग्राम पंचायत ने उसी रास्ते की भूमि का जैर निगरानी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पट्टा जारी कर दिया और अप्रार्थी संख्या 1 ने उसी भूखण्ड को जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 06.05.2019 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को बेचाण कर दिया। प्रश्नगत पट्टे हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया, न ही कोई शुल्क जमा करवाई, न ही नक्शा बनाया गया और न ही तीन वार्ड पचों की मौका निरीक्षण हेतु नियुक्ति की गई। ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई आपत्ति नोटिस जारी किया गया और न ही गवाहों के बयान लिये गये। रास्ते की भूमि का ग्राम पंचायत सिर्फ ट्रस्टी होता है और ट्रस्टी को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है तथा उक्त पट्टे का रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टेशुदा भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है इसलिये जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आराजी का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया, जिसे अप्रार्थी संख्या 3 ने जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 06.05.2019 के द्वारा खरीद किया। अप्रार्थी संख्या 1 की जैर निगरानी आराजी को हड़पने की नियत से प्रार्थीगण ने पुनः नया पट्टा वर्ष 2016 में बनाया। प्रार्थीगण का मुख्य पट्टा संख्या 39 दिनांक 20.05.1976 को जारी किया गया और प्रार्थीगण हमारे पूर्व दिशा में स्थित हैं तथा प्रार्थीगण अपने पट्टे में वर्णित पश्चिम भूमि को जो रास्ते की भूमि बता रहे है वह रास्ते की न होकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि थी और उसके आगे रेल्वे की बाउण्ड्री स्थित है, जिसकी पुष्टि प्रार्थीगण के पक्ष में वर्ष 2016 में जारी किये गये नये पट्टे से भी होती है। सिविल न्यायालय में भी माननीय न्यायालय ने पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया कि उक्त भूमि पर कभी भी रास्ता स्थित नहीं है तथा जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा है, जो मौका कमिश्नर रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। अप्रार्थी ने प्रश्नगत पट्टे हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार आवेदन पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुये ग्राम की आबादी भूमि में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थीगण ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत भादरलाउ (सोमेसर) द्वारा मिसल संख्या 76/77–78 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 15.12.1977 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने रास्ते की भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि में स्थित भूमि का प्रश्नगत पट्टा जारी किया। प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रश्नगत पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है अथवा नहीं ? इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाते है कि प्रश्नगत पट्टा जो कि दिनांक 15.12.1977 को अमीन खां के पक्ष में जारी किया गया है, के उत्तर दिशा में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

खातेदारी भूमि, दक्षिण दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, पूर्व दिशा में फुटरमल का मकान तथा पश्चिम दिशा में रेल्वे बाउण्ड्री अंकित है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण की माता कमलाबाई के पक्ष में भी वर्ष 1976 में पट्टा जारी किया गया, जिसके पट्टा संख्या 39 दिनांक 20.05.1976 है, की उत्तर दिशा में बेरा नोहरा का जाव, दक्षिण दिशा में आम रास्ता भादरलाउ जाने का रास्ता, पूर्व दिशा में बेरा नोहरा का जाव तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता भिमालिया जाने का अंकित है। पट्टा संख्या 39 दिनांक 20.05.1976 में यद्यपि पश्चिम दिशा में भिमालिया जाने का आम रास्ता अंकित है, तथापि इस उल्लेख मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वास्तविक एवं विधिवत् राजस्व अभिलेखों में ऐसा सार्वजनिक रास्ता विद्यमान था। इस सन्दर्भ में सिविल न्यायालय देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 21/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के पैरा संख्या 14 में स्पष्ट उल्लेखित है कि ".....पटवारी भंवरलाल द्वारा जो रिपोर्ट दी है उसमें भी प्रार्थी के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 105, आबादी भूमि का अंकित होना और किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं होना अंकित किया है।" इसी प्रकार अपर जिला न्यायाधीश, केम्प देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 07/2019 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2019 के पैरा संख्या 12 में भी यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि "पटवारी हल्का सोमेसर द्वारा दिनांक 07.05.2019 को मुर्तिब मौका रिपोर्ट में कमलेश के मकान के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 105 किस्म गैर मुमकीन आबादी दर्ज होना बताया तथा पश्चिम दिशा में किसी प्रकार का कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होना बाताया गया है अर्थात् प्रश्नगत पट्टा गैर मुमकिन आबादी भूमि में दर्ज है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में जारी पट्टे के आधार पर बताये गई पश्चिम दिशा में किसी प्रकार का रास्ता दर्ज नहीं है। राजस्व अभिलेख भूमि की प्रकृति निर्धारित करने का प्रामणिक आधार होते है तथा सम्बन्धित पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट राजस्व अभिलेखों के आधार पर तैयार की जाती है, जब राजस्व रिकॉर्ड में सम्बन्धित भूमि आबादी दर्ज है और रास्ते के रूप में कोई प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है, तब मात्र कथन के आधार पर उसे सार्वजनिक रास्ता नहीं माना जा सकता। सिविल न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2019 में जैर निगरानी पट्टा तथा पट्टा संख्या 39 के परिसर का स्थल निरीक्षण कर वर्णन किया गया है, किन्तु कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि प्रश्नगत स्थल पर कोई सार्वजनिक रास्ता विद्यमान था जो आगे की ओर निरन्तर जाता हो। यदि वास्तव में भिमालिया जाने का सार्वजनिक रास्ता अस्तित्व में होता, तो वह पट्टा संख्या 39 की पश्चिमी सीमा तक समिति न होकर आगे भी सतत् रूप से विद्यमान रहता। यह तर्कसंगत नहीं कि रास्ता केवल एक पट्टे की सीमा तक हो और उसके आगे समाप्त हो जाए। समस्त अभिलेखीय साक्ष्य, रिकॉर्ड, पूर्ववर्ती न्यायालयीन निष्कर्षों, अंकित तथ्यों तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट के समेकित विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट एवं स्थापित होता है कि प्रश्नगत जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में जारी किया गया है तथा उक्त स्थल पर किसी प्रकार का सार्वजनिक रास्त विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता है। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह कथन कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पक्ष में रास्ते की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया, उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे का ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं है, अतः ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों के अनुसार प्रश्नगत पट्टा जारी नहीं किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवदेन किया कि रिकार्ड के संधारण का कार्य अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है इसलिये यदि वर्तमान में ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं है तो इसमें पट्टाधारक की कोई गलती है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे की प्रति का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1977 में जारी किया गया था, जिस पर तत्कालीन सपरंच, गवाहों तथा पट्टा प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर अंकित है तथा पट्टे की प्रति पर रसीद संख्या का अंकन है। इसके अतिरिक्त उक्त पट्टे की पुश्त पर भूमि का क्षेत्रफल एवं चारों दिशाओं के पड़ौस भी अंकित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पट्टा एक औपचारिक पंचायत प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था तथा पट्टे में वर्णित पड़ौस यह दर्शाता है कि भूमि की पहचान पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई थी तथा पट्टा किसी अनिश्चित या काल्पनिक भूमि पर जारी नहीं किया गया, जिससे प्रथमदृष्टया पट्टे की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। प्रकरण में यह तथ्य स्थापित है कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संधारण, संरक्षण एवं अद्यतन रखना ग्राम पंचायत का वैधानिक दायित्व है, न कि पट्टाधारक का। पट्टाधारक का यह दायित्व नहीं है कि वह पंचायत के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे। यदि वर्तमान समय में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है, तो मात्र इसी आधार पर पट्टे को अवैध या नियमविरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि यह सिद्ध न कर दिया जाए कि पट्टा प्रारम्भ से ही अवैध, कूटरचित या नियमों के उल्लंघन में जारी किया गया था। प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, साक्ष्य अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि वर्ष 1977 में पट्टा पंचायत नियमों के विपरीत जारी किया गया था या पंचायत प्रस्ताव के बिना जारी हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रश्नगत पट्टा लगभग 50 वर्ष पूर्व जारी किया गया था तथा इतने लम्बे अन्तराल के पश्चात् रिकॉर्ड के अभाव को आधार बनाकर पट्टे को निरस्त करना न्यायिक दृष्टि से अनुचित एवं असंगत प्रतीत होता है, वो भी उस स्थिति में जब अधिवक्ता प्रार्थीगण का मुख्य उज्र प्रमाणित नहीं हुआ हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1991 SC 2219 State of Punjab vs. Gurdev Singh के अनुसार "An administrative lapse or illegality committed by the authority cannot be a ground to penalise a citizen who has acted bona fide." उपरोक्त समस्त तथ्यों के विस्तृत परीक्षण से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि प्रश्नगत पट्टा विधिपूर्वक पंचायत प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था। वर्तमान में ग्राम पंचायत में अभिलेखों में उक्त पट्टे का रिकॉर्ड उपलब्ध न होना मात्र एक प्रशासनिक कमी हो सकती है, जिसका दायित्व पट्टाधाकर पर नहीं डाला जा सकता। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिसम्मत है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत भादरलाउ (सोमेसर) द्वारा मिसल संख्या 76/77–78 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 15.12.1977 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)